

Notes For - M.A. Sem - III, Unit - IV, CC-13

Topic: - भारतीय परिषद् एक्ट, 1909 (मिंटो-मार्ले सुधार):-

लार्ड कर्जन की साम्राज्यवादी तथा

कठोर नीतियों के कारण वृद्धिजीवी वर्ग में विदेशी सरकार के प्रति अधिक विरोध उत्पन्न हो गया। यदि 1882 का भारतीय परिषद् अधिनियम इस लिए पारित किया गया कि कांग्रेस आंदोलन को टालि पहुँचे तो 1909 को अधिनियम कांग्रेस में संघत भागियों तथा मुसलमानों को अपनी ओर मिलाने के लिए पारित किया गया।

1909 के सुधारों में कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं-

(I) सर्वोच्च विधान परिषद् में सदस्यों में वृद्धि, 'अतिरिक्त' सदस्यों की अधिकतम संख्या 60 कर दी गई। अब विधान मंडल में 69 सदस्य थे; जिनमें 37 शासकीय सदस्य तथा 32 अशासकीय वर्ग के थे।

(II). शासकीय सदस्यों में से केवल पदेन सदस्य थे अर्थात् गवर्नर जनरल तथा उसके सात कार्यकारी परिषद् और एक असाधारण सदस्य तथा 28 सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे। 32 अशासकीय सदस्यों में से 5 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे। और 27 निर्वाचित किए जाते थे। इन निर्वाचित सदस्यों के विषय में यह कहा गया कि प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व तो भारत में उपयुक्त नहीं है, अतएव देश में वर्ग तथा विशेष हितों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

(2)

→ (III). 27 में से 13 तो साधारण निर्वाचन मंडल से आने चाहिए जिनमें निर्वाचित सदस्य, बम्बई, बंगाल, मद्रास तथा उड़ीसा संयुक्त प्रांत तथा मध्य प्रांत से एक-एक भूमिपतियों के निर्वाचन मंडल निर्वाचित करते थे। अन्य 6 पृथक मुस्लिम निर्वाचन मंडल निर्वाचित करते थे। अन्य 6 पृथक मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों से मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, और बिहार तथा उड़ीसा से एक-एक और बंगाल से दो निर्वाचित होते थे। शेष दो स्थान बम्बई तथा बंगाल के वाणिज्य मंडलों को दिए गए।

(IV). विभिन्न प्रांतों की विधान परिषदों की बड़ी सदस्य संख्या इस प्रकार थी; बर्मा 16, पूर्वी बंगाल तथा असम 41, बंगाल 52, मद्रास, बम्बई तथा संयुक्त प्रांत प्रत्येक के 47 और पंजाब के 251, प्रांतों में अशासकीय सदस्यों का बहुमत था।

(V). केन्द्र तथा प्रांतीय विधान परिषदों के कार्यों को भी विस्तार किया गया। सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे और बजट पर बहस कर सकते थे, लेकिन उस पर मत नहीं दे सकते थे। वे विधायी प्रस्ताव पेश कर सकते थे, लेकिन कानून नहीं बना सकते थे।

(VI). अधिनियम में वायसराय की कार्यकारी परिषद तथा प्रांतीय कार्यकारी परिषदों में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था।

Note: पहले भारतीय सदस्य के रूप में सत्येन्द्र सिन्हा को नियुक्त किया गया।

(VII). 1909 के सुधारों से भारतीय राजनैतिक प्रश्न का न कोई हल हो सकता था न ही इससे हल निकला। अप्रत्यक्ष चुनाव, विधान परिषद की सीमित शक्तियों ने प्रतिनिधि सरकार को खिचड़ी-सा बना दिया।

- (VIII.) वास्तविक शक्ति सरकार के ही पास रही, और परिषदों को केवल आलोचना के अधिकार के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला।
- (IX.) 1909 के अधिनियम का सबसे बड़ा दोष मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान करना था।
- (X.) 1909 के सुधारों से जनता के असंतुष्ट होने के और भी कारण थे। लोग देश में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग कर रहे थे। परंतु उन्हें यह प्रदान नहीं किया गया।
- (XI.) इस अधिनियम के अंतर्गत जो चुनाव पद्धति अपनाई गई वह इतनी असफल थी कि प्रतिनिधित्व की प्रणाली एक प्रकार की बहुत सी दलनियों में से क्षमता की क्रिया बन गई।